मुकुल गोयल
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-44/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: दिसम्बर 8, 2021

**विषय–साइबर अपराध की सुनवाई हेतु प्रदेश के प्रत्येक थानों पर साइबर हेल्प डेस्क के गठन व प्रभावी कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

प्रिय महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि वर्तमान समय में साइबर अपराध में तेजी से बृद्वि हो रही है तथा साइबर अपराध से पीडित व्यक्ति की समुचित रूप से सुनवाई जनपदीय पुलिस थानों में नही की जा रही है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस की छवि खराब हो रही है तथा पीडित व्यक्ति भी अनावश्यक रूप से परेशान हो रहा है। इस समस्या को देखते हुये आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपदों के प्रत्येक थानों में साइबर अपराध की सुनवाई हेतु डीजी परिपत्र संख्या 48/2019 द्वारा थाना स्तर पर गठित साइबर क्राइम टीम (CCT) के सदस्य ही थाना स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क के सदस्य होंगे। इस टीम में थाने पर पूर्व से गठित महिला हेल्प डेस्क के कर्मी व एक कम्प्यूटर आपरेटर भी इसके सदस्य होगें। थाना स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क का प्रभारी, निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी होगा। प्रत्येक जिलों में नियुक्त राजपत्रित एन0सी0आर0पी0 नोडल अधिकारी इस साइबर हेल्प डेस्क के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगें तथा मुख्यालय से प्राप्त होने वाले साइबर अपराध से सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन करवायेंगे। सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक भी समय समय पर थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क के कार्यो की समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि साइबर पीडितों की सुनवाई एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रभावी ढंग से साइबर हेल्प डेस्क द्वारा की जा रही है।

साइबर हेल्प डेस्क के निम्न कर्तव्य होंगेः–

- उक्त साइबर हेल्प डेस्क, आम जनता में साइबर अपराध की रोक थाम हेतु जागरूकता फैलायेंगे तथा साइबर अपराध से पीडित व्यक्ति के थाने आने पर उसकी समस्या सुनकर यदि वह साइबर वित्तीय अपराध से पीडित है तो तत्काल उसकी सूचना साइबर हेल्प लाइन 155260 पर व बेवसाइट www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करवाने में मदद करेंगे।

- नोडल साइबर हेल्प डेस्क द्वारा, साइबर हेल्प लाइन नं0 155260 के माध्यम से पीडित की freeze की गयी धनराशि को पीडित के बैंक खाते में वापस कराने हेतु सम्यक कार्यवाही करेंगे।
- पीडित व्यक्ति के साथ घटित हुये साइबर अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य आई0डी0 प्रोफाईल पोस्ट व अन्य digital document आदि का स्क्रीन शाट सुरक्षित/ Archive करायेंगे।
- यदि संज्ञेय साइबर अपराध की घटना घटित हुई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु थाना प्रभारी/साइबर नोडल अधिकारी को अवगत करायेंगे।
- एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय से जांच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करेंगे।
- थाने पर प्राप्त होने वाली साइबर अपराध से सम्बन्धित शिकायतों पर जिला स्तरीय साइबर काइम सैल (DCCC) से सहयोग प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करेंगे।
- साइबर अपराध से सम्बन्धित मोबाईल नं0, बैंक खाता संख्या आदि को साइबर सेफ पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
- साइबर हेल्प डेस्क नोडल अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर का रखरखाव किया जायेगा जिसमें उपरोक्त सभी कार्यवाहियों का विवरण प्रतिदिन अंकित करेंगें। उक्त रजिस्टर राजपत्रित साइबर नोडल अधिकारी के समक्ष प्रत्येक 07 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।
- साइबर हेल्प डेस्क में तैनात समस्त कर्मचारीगण एवं राजपत्रित साइबर पर्यवेक्षण अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाईल नं0, ई–मेल आई0डी0 की सूचना समय समय पर साइबर मुख्यालय लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशो का पालन करने से, बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अपेक्षित सफलता मिलेगी एवं पुलिस की छवि भी बेहतर होगी।

**भवदीय**

**(मुकुल गोयल)**

**समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 (नाम से)**

**समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 (नाम से )**

**प्रतिलिपिः–** <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमानिरीक्षक, उ0प्र0।
2- समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।